

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003  
वेबसाइट: www.meity.gov.in

संख्या 13 (6)/2018-ईजी-II (खंड-II)

दिनांक 18.08.2020

परिपत्र

**विषय:** सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के तहत आधार अधिप्रमाणन के उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देशों सहित आवेदन प्रपत्र विषयक।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 05.08.2020 को भारत के राजपत्र में सुशासन के लिए आधार (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 को अधिसूचित किया है (प्रति संलग्न है)।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के नियम 4 के अनुसार, भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, जो नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन के उपयोग करने का इच्छुक है, ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की गई है, के संबंध में औचित्य सहित एक प्रस्ताव तैयार करेगा और उसे प्राधिकरण को संदर्भ देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

3. इस संबंध में, उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से संबंधित आवेदन पत्र (अनुबंध-I) एवं दिशानिर्देश (अनुबंध-II) संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

हस्ता./-

(अर्चना दुरेजा)  
वैज्ञानिक 'जी'/वरिष्ठ निदेशक  
टेलीफोन नंबर : 24362528

प्रति :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

**आधार अधिप्रमाणन के उपयोग की अनुमति देने के लिए एमईआईटीवाई को आवेदन  
{सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020  
के नियम 4 के अंतर्गत}**

सेवा में,

सचिव,  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,  
भारत सरकार,  
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन,  
6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003.

महोदय/महोदया,

.....(केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग का नाम) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (4) (ख) (ii) के उपबंधों के अनुसार ..... (उपयोग-मामले) के लिए आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का उपयोग करना चाहता है। यह आवेदन सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 4 के तहत आधार के उपयोग के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए किया जा रहा है।

उपयोग मामले, लागू उद्देश्य, औचित्य और प्रस्तावित अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी/ केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी का विवरण अनुबंध-1 के रूप में निर्धारित प्रारूप में दिया गया है। किसी अन्य जानकारी/दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने पर उसे मंत्रालय या यूआईडीएआई को तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(हस्ताक्षर)  
मंत्रालय के सचिव/विभागाध्यक्ष

अनुबंध-1

(कृपया प्रस्ताव तैयार करने और आवेदन पत्र के लिए अनुबंध II में दिए गए दिशानिर्देश देखें)।

आवेदक मंत्रालय/विभाग का विवरण			
1.	आवेदक मंत्रालय/विभाग का नाम		
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता		
3.	पत्राचार का पता		
संपर्क विवरण			
4.	संपर्क नाम		
5.	पद		
6.	ईमेल पता		
7.	मोबाइल नंबर		
8.	कार्यालय का नंबर		
9.	योजना का संक्षिप्त विवरण (हितलाभ की प्राप्ति या वितरण में शामिल ईकोसिस्टम और प्रक्रियाएं)		
अधिप्रमाणन अपेक्षाएं			
10.	प्रस्तावित आधार अधिप्रमाणन सेवा उपयोग मामला		
11.	आधार अधिप्रमाणन सेवा उपयोग मामला निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगा- (क) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग; (ख) सामाजिक कल्याणकारी लाभों के अपव्यय को रोकना; और (ग) नवाचार की सक्षमता और ज्ञान का प्रसार करना। {संदर्भ: सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 का नियम 3}		
12.	उपरोक्त उद्देश्य के लिए उपयोग मामले पर विचार करने का औचित्य		
13.	आधार अधिप्रमाणन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रस्तावित अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए)/ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) का नाम		
14.	उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित आधार अधिप्रमाणन सेवाएं (कृपया कोई एक चुनें)	हाँ/नहीं अधिप्रमाणन	
		हाँ/नहीं और ई-केवाईसी	
अन्य विवरण (अलग से संलग्न किया जा सकता है)			
15.	परिनियोजित की जाने वाली अधिप्रमाणन प्रणाली का प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर	संलग्न (हाँ/नहीं)	

16.	आधार अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी के उपयोग से सेवा वितरण प्रक्रिया	संलग्न (हाँ/नहीं)
17.	आधार अधिनियम, 2016 एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों में सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित सभी उपबंधों और यूआईडीएआई द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन में मंत्रालय/विभाग की प्रमुख प्रतिबद्धता	(हाँ/नहीं)

(हस्ताक्षर)  
मंत्रालय के सचिव/विभागाध्यक्ष

सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के तहत आधार अधिप्रमाणन हेतु केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश।

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम) को 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 494 [न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ बनाम अन्य] में उच्चतम न्यायालय दिनांक के 26.09.2018 के निर्णय के उपरांत 2019 में इसे संशोधित किया गया था। इन संशोधनों में आधार अधिनियम की धारा 4 में उप-धारा (4) को जोड़ना भी शामिल है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"(4) किसी संस्था को अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि प्राधिकरण का यम समाधान हो जाता है कि अनुरोधकर्ता संस्था-

क. निजता और सुरक्षा के ऐसे मानकों का अनुपालन करती है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं; और

ख. (i) अधिप्रमाणन सेवाएं आमंत्रित करने के लिए संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात किया जाता है ;

(ii) ऐसे प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन चाहता है, जो केंद्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे।

2. इसके अलावा, धारा 53 की उप-धारा (2) में खंड (कक) जोड़ा गया था, जो केंद्र सरकार को " ऐसे उद्देश्य जिसके लिए अनुरोधकर्ता संस्था को धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के तहत प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणन करने की अनुमति दी जा सकती है" नियम बनाने में सक्षम बनाता है।

3. तदनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 05.08.2020 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (नियम) अधिसूचित किए हैं (संलग्न), जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन की अनुमति प्रदान करते हैं (नियम 3):

- (i) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग ;
- (ii) सामाजिक कल्याणकारी हितलाभों के अपव्यय की रोकथाम करना ; और
- (iii) नवाचार की सक्षमता और ज्ञान का प्रसार।

4. आधार अधिप्रमाणन के लिए प्रस्ताव भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा केंद्र सरकार के विचारार्थ तैयार किए जा सकते हैं। प्रस्तावों को निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए:

- (i) धारा 7 के अंतर्गत विचारार्थ उपयुक्त प्रस्तावों (अर्थात् जिनमें सब्सिडी, लाभ या सेवा देना शामिल है और जिनके लिए व्यय भारत की समेकित निधि या राज्य की समेकित निधि से किया जाता है) को केवल उक्त धारा के उपबंधों के तहत और यूआईडीएआई के दिनांक 25.11.2019 के परिपत्र संख्या 1-1/2019-यूआईडीएआई (डीबीटी) के अनुसार तैयार किया जा सकता है।

- (ii) ऐसे प्रस्ताव जो धारा 7 के तहत विचार करने योग्य नहीं हैं, किंतु एक या अधिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उन्हें नियमों के तहत वरीयता दी जा सकती है।
- (iii) प्रस्ताव में पहल या योजना के लागू होने पर उससे मिलने वाले लाभ को दर्शाता एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। ऐसे लाभ नियम 3 के तहत विनिर्दिष्ट उद्देश्य (उद्देश्यों) से संबंधित होने चाहिए, उदाहरण के लिए, भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, अनुक्रियाशील, दक्षता, प्रभावकारिता, इच्छिटी, समावेशन आदि को सुगम बनाकर लेनदेन लागत को कम या समाप्त करते हैं, या निवासियों की जीवनचर्या को सुकर बनाते हैं या उन्हें सेवाओं की बेहतर एक्सेस में सक्षम करते हैं। नियम 3 के तहत उद्देश्य (उद्देश्यों) के संबंध में औचित्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iv) प्रस्ताव में संक्षिप्त रूप में इको-सिस्टम और लाभ प्राप्ति या वितरण में शामिल प्रक्रियाओं की व्याख्या की जानी चाहिए।
- (v) इसमें उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित आधार अधिप्रमाणन सेवा (वह चाहे हां/नहीं अधिप्रमाणन या हां/नहीं और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सेवा हो) को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- (vi) आधार अधिप्रमाणन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रस्तावित अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए)/ ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (vii) परिणियोजित की जाने वाली अधिप्रमाणन प्रणाली के प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर को विशेष रूप से दर्शाना चाहिए।
- (viii) हां/नहीं अधिप्रमाणन और ईकेवाईसी के उपयोग द्वारा सेवा वितरण प्रक्रिया का वर्णन किया जाना चाहिए।
- (ix) आधार अधिनियम, 2016, इसके विनियमों के तहत सभी सुरक्षा और निजता उपबंधों और समय-समय पर यूआईडीएआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने वाले प्रायोजक मंत्रालय/ विभाग या राज्य सरकार की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।
- (x) प्रस्ताव को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग के सचिव के अनुमोदन से सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 को भेजा जाना चाहिए।
- (xi) प्रस्ताव के प्रभारी अधिकारी के संपर्क विवरण (नाम, पदनाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर) को इंगित किया जाना चाहिए।

\*\*\*\*\*



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220856  
CG-DL-E-05082020-220856

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]  
No. 385]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

सा.का.नि.490(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18वां) की धारा 53 की उप-धारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 53 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत्त होना.— (1) ये नियम सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.— इन नियमों में संदर्भ के अनुसार जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) है;

(ख) "प्राधिकरण"से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किये गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) में उनके लिए निर्धारित किया गया अर्थ ही होगा।

3. **आधार अधिप्रमाणन के प्रयोजन-** (1) केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच समर्थ करने लिए, अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दे सकती है, अर्थात्:-

(क) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग;

(ख) सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय की रोकथाम; तथा

(ग) नवोद्भव को समर्थ बनाना और ज्ञान का प्रसार करना।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा।

4. **प्रस्ताव तैयार करना-** नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रस्ताव के बारे में औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार करेगा जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की गई है और इसे प्राधिकरण के संदर्भ के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

5. **प्रस्ताव की जांच-** नियम 4 के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रस्ताव नियम 3 में वर्णित प्रयोजनों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है, तो यह केंद्र सरकार को सूचित करेगा कि अनुरोधकर्ता निकाय को आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाए और इसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, को केंद्र सरकार द्वारा इसे तदनुसार अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

[फा.सं. 13(6)/2018-ईजी-II (वाॅल्यूम- II)]

डॉ. राजेंद्र कुमार, अपर सचिव

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

**G.S.R.490(E).**—In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of section 53 read with clause (aa) of sub-section (2) of section 53 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government, in consultation with Unique Identification Authority of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

(b) “Authority” means the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Act;

(c) Words and expressions used and not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them in the Act or in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).



3. **Purposes for Aadhaar authentication.**— (1) The Central Government may allow Aadhaar authentication by requesting entities in the interest of good governance, preventing leakage of public funds, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them, for the following purposes, namely:—

- (a) usage of digital platforms to ensure good governance;
- (b) prevention of dissipation of social welfare benefits; and
- (c) enablement of innovation and the spread of knowledge.

(2) Aadhaar authentication under sub-rule (1) shall be on a voluntary basis.

4. **Preparation of proposal.**— The Ministry or the Department of the Government of India or the State Government, as the case may be, desirous of utilising Aadhaar authentication for a purpose specified in rule 3 shall prepare a proposal with justification in regard to such purpose for which Aadhaar authentication is sought and submit the same to the Central Government for making a reference to the Authority.

5. **Examination of proposal.**— On receipt of the proposal under rule 4, if the Authority is satisfied that the proposal is in accordance with the purposes mentioned in rule 3 and the provisions of the Act, it shall inform the Central Government that the requesting entity may be allowed to perform Aadhaar authentication and thereafter, the Ministry or the Department of the Government of India or the State Government, as the case may be, may be authorised by the Central Government to notify the same accordingly.

[F.No. 13(6)/2018-EG-II(Vol-II)]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.